(भारत के राजपत्र के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 14 दिसम्बर, 2018

विषय: यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी 2019 से आगे बढ़ाया जाना ।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I (2) - सरकार द्वारा यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को दिनांक 9 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं.1/61/2004-निर्यात-I के तहत प्रारंभ में 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया था तथा उन्हें समय-समय पर बढ़ाया गया था । इन प्रावधानों को 31 दिसम्बर 2018 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतदद्वारा यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी, 2019 से एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना के पैरा 1 में उल्लिखित अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(आर.के.सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:23062341

ई-मेल:teptj2@nic.in

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली -110002